झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

सत्र 2018-19 में आयोजित राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा (NMMS) में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति प्राप्ति हेतु Fresh आवेदन Online जमा करने के संबंध में।

विज्ञप्ति संख्या - 55/2019

झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा वर्ष 2019 में आयोजित राष्ट्रीय साधन–सह–मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं, उनके अभिभावकों/संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा इन सफल छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान किया जाना है। उक्त छात्रवृत्ति को प्राप्त करने हेतु आवेदकों से National Scholarship Portal **(http://scholarship.gov.in)** पर Online आवेदन आमंत्रित किये जा रहे है।

Exam Year	Project Year	Class	Scholarship
April 2019	2019-20	IX	Fresh

लाभुकों को 12000/– रूपया प्रति वर्ष छात्रवृत्ति भारत सरकार के द्वारा दिया जा रहा है।

Online आवेदन भरने की प्रक्रिया:-

- सर्वप्रथम आवेदक पोर्टल पर **New Registration Tab** पर वांछित जानकारी को प्रविष्ट करते हुए अपने आप को पंजीकृत करेंगे।
- ऑनलाईन आवेदन करते समय आवेदक यह ध्यान रखेंगे कि वर्ग IX एवं X के छात्र **pre Matric option** एवं वर्ग XI एवं XII के छात्र **post Matric option** चुनेंगे।
- संबंधित विद्यालयों के प्राचार्य पोर्टल पर पंजीकृत करेंगे। Verification के लिए आवेदन विद्यालय प्राचार्य के पास Login में उपलब्ध होगा। प्राचार्य/प्राचार्या Online आवेदन को भली–भाँति जाँच कर संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को Online अग्रसारित करेंगे।
- बाधा रहित छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु छात्र सुविधानुसार अपने बैंक खाते को आधार से Seeding करा सकते है।
- सभी लाभुकों को छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु NSP पर आवेदन करना अनिवार्य है। छूट जाने की स्थिति में परिषद् जिम्मेदार नहीं होगा।
- छात्रवृत्ति से संबंधित जानकारी प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति कोषांग के दूरभाष संख्या– 7485093439 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
- आवेदन भरने की अंतिम तिथि 15.10.2019 है।
- इस Scheme के तहत् सभी जानकारियाँ यथा संस्थानों के पंजीकरण (Registration) की प्रक्रिया, छात्रवृत्ति की राशि, Renewal की प्रक्रिया एवं शर्ते, Fresh आवेदन भरने की प्रक्रिया आदि परिषद् के website- jac.jharkhand.gov.in एवं National e-Scholarship के Portal **(https: //scholarship.gov.in)** से प्राप्त की जा सकती है।

नोट:– परिषद् द्वारा उक्त छात्रवृत्ति से संबंधित जानकारी मात्र उपलब्ध कराई जाती है। इस छात्रवृत्ति हेतु राशि DBT के माध्यम से सीधे लाभुक के खाते में MHRD, New Delhi के द्वारा हस्तांतरित किया जाता है। परिषद् की इसमें कोई भूमिका नहीं रहती है। अत: छात्रवृत्ति अप्राप्त रहने से संबंधित किसी भी प्रकार का दावा परिषद् द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। झारखण्ड अधिविद्य परिषद् सिर्फ सूचना उपलब्ध कराने का एक माध्यम है।

अध्यक्ष के आदेश से,

ह./- सचिव,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/SCH/NMMS/42/18/SECY/378/19
Dt. 29.07.19
D.O.P: 30.07.19